

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भूअभिलेख
अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 12/2024(जी.सी.एम.एस. 2024/12)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. गुरसेवक सिंह पुत्र सुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ ए तहसील श्रीकरणपुर हाल आबाद House no. 153, Near Gurudwara Sahib, Tharajwala, Muktsar, Punjab 152101		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर। 2. प्रकाश सिंह पुत्र सुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ ए तहसील श्रीकरणपुर हाल आबाद House no. 153, Near Gurudwara Sahib, Tharajwala, Muktsar, Punjab 152101 3. शिवराज सिंह पुत्र सुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ ए तहसील श्रीकरणपुर हाल आबाद House no. 153, Near Gurudwara Sahib, Tharajwala, Muktsar, Punjab 152101

तारीख रजू:- 06.02.2024

उपस्थित: 1. श्री मनीष कुमार जागिंड अधिवक्ता वादी

2. श्री ईकबाल सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2, 3

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय—

दिनांक : 07.06.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 3 एफ ए, पटवार हल्का 50 एफ रूपनगर, भूअ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 87/89, खाता संख्या 112/122 व राजस्व ग्राम 50 एफ, पटवार हल्का 50 एफ रूपनगर, भूअ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 46/34 में वादी का नाम सेवक सिंह पुत्र सीता सिंह दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजों में नाम गुरसेवक सिंह पुत्र सुरजीत सिंह अंकित है। वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी मुताबिक दस्तावेजों के आधार पर नाम संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। वर्तमान में अनुदान/ऋण संबंधित आवेदन पत्र ऑनलाईन हो चुके हैं, जिनका दस्तावेजों के अनुरूप मिलान किया जाता है, उसके पश्चात् ही अनुदान/ऋण स्वीकृत करना अनिवार्य कर दिया है। इस कारण विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ रहा है। इसलिए भी उक्त संशोधन करवाने हेतु वादी माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवा रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 एफ ए, पटवार हल्का 50 एफ रूपनगर, भूअ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 87/89, खाता संख्या 112/122 व राजस्व ग्राम 50 एफ, पटवार हल्का 50 एफ रूपनगर, भूअ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की

जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 46/34 में वादी के अंकित नाम सेवक सिंह पुत्र सीता सिंह स्थान पर सेवक सिंह उर्फ गुरसेवक सिंह पुत्र सीता सिंह उर्फ सुरजीत सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2, 3 की ओर से अधिवक्ता श्री ईकवाल सिंह उपस्थित आए व जवाबदावा मय काउन्टर पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2, 3 की ओर से अधिवक्ता श्री ईकवाल सिंह उपस्थित अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम 3 एफ ए, पटवार हल्का 50 एफ रूपनगर, भूअ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 87/89, खाता संख्या 112/122 व राजस्व ग्राम श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 46/34 में अंकित नाम प्रतिवादी संख्या 2 प्रकाश सिंह पुत्र सीता सिंह के स्थान पर प्रकाश सीता सिंह के स्थान पर शिवराज सिंह पुत्र सीता सिंह उर्फ सुरजीत सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे। वादी अधिवक्ता के द्वारा काउन्टर क्लेम पर अनापत्ति जाहिर की। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्राक 1968 दिनांक 09.05.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई व फर्दमौका बनाया गया जिसमें उपस्थितजनों ने बताया कि गुरसेवक सिंह व सेवक सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। सुरजीत सिंह व सीता सिंह एक ही व्यक्ति के नाम हैं। वादी गुरसेवक सिंह को ग्राम में सेवक सिंह व गुरसेवक सिंह के नाम से जाना पहचाना जाता है। वादी के पिता सुरजीत सिंह को सुरजीत सिंह व सीता सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाता है। वादी का नाम सेवक सिंह उर्फ गुरसेवक सिंह व वादी के पिता का नाम सीता सिंह उर्फ सुरजीत सिंह है।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रतिवादी, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। अधिवक्तागण की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा ग्राम 3 एफ ए, पटवार हल्का 50 एफ रूपनगर, भूअ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 87/89 की प्रति, ग्राम 3 एफ ए, पटवार हल्का 50 एफ रूपनगर, भूअ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 112/122 की प्रति व राजस्व ग्राम 50 एफ, पटवार हल्का 50 एफ रूपनगर, भूअ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 46/34 की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, के अवलोकन से स्पष्ट है। कि वादी व प्रतिवादी संख्या 2, 3 के द्वारा राजस्व ग्राम 3 एफ ए, पटवार हल्का 50 एफ रूपनगर, भूअ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 87/89, खाता संख्या 112/122 व राजस्व ग्राम 50 एफ, पटवार हल्का 50 एफ रूपनगर, भूअ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 46/34 में वादी के अंकित नाम सेवक सिंह पुत्र सीता सिंह स्थान पर सेवक सिंह उर्फ गुरसेवक सिंह पुत्र सीता सिंह उर्फ सुरजीत सिंह व प्रतिवादी संख्या 2 प्रकाश सिंह पुत्र सीता सिंह के स्थान पर प्रकाश सिंह पुत्र सीता सिंह उर्फ सुरजीत सिंह व प्रतिवादी संख्या 3 शिवराज सिंह पुत्र सीता सिंह के स्थान पर शिवराज सिंह पुत्र सीता सिंह उर्फ सुरजीत सिंह दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति में वादी का नाम गुरसेवक सिंह पुत्र सुरजीत सिंह व वादी के पिता का नाम सुरजीत सिंह पुत्र प्रीतम सिंह दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के

[Handwritten signature]

पटवार पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई व फर्दमीका बनाया गया
जिसमें उपस्थितजनों ने बताया कि गुरसेवक सिंह व सेवक सिंह एक ही व्यक्ति
के दो नाम हैं। सुरजीत सिंह व सीता सिंह एक ही व्यक्ति के नाम हैं। वादी
गुरसेवक सिंह को ग्राम में सेवक सिंह व गुरसेवक सिंह के नाम से जाना पहचाना
जाता है। वादी के पिता सुरजीत सिंह को सुरजीत सिंह व सीता सिंह के नाम से
जाना व पहचाना जाता है। वादी का नाम सेवक सिंह उर्फ गुरसेवक सिंह व वादी
के पिता का नाम सीता सिंह उर्फ सुरजीत सिंह है। अतः वाद पत्र वादी व
काउन्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 2, 3 रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा
प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना
हम विधिसंगत समझते हैं।

—:आदेश:—

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955, 136—राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित
होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 एफ ए, पटवार हल्का 50 एफ
रूपनगर, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता
2078 के खाता संख्या 87/89, खाता संख्या 112/122 व राजस्व ग्राम 50 एफ,
पटवार हल्का 50 एफ रूपनगर, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की
जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 46/34 में अंकित नाम सेवक
सिंह पुत्र सीता सिंह स्थान पर सेवक सिंह उर्फ गुरसेवक सिंह पुत्र सीता सिंह
उर्फ सुरजीत सिंह व प्रकाश सिंह पुत्र सीता सिंह के स्थान पर प्रकाश सिंह पुत्र
सीता सिंह उर्फ सुरजीत सिंह तथा शिवराज सिंह पुत्र सीता सिंह के स्थान पर
शिवराज सिंह पुत्र सीता सिंह उर्फ सुरजीत सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए
जाते हैं। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेंगे। पर्चा डिक्री इस
आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को
पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद
तकमिल जाब्ला पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

(शयोराम (आर.ए.एस.))

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री. करणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 07.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास
सुनाया गया।

(शयोराम (आर.ए.एस.))

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री. करणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर



अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अवलत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
गुरसेवक सिंह बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
मुकदमा नम्बर 12/2024

निर्णय दिनांक :- 07.06.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार जागिंड उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 मनी-मार्ति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 एफ ए, पटवार हल्का 50 एफ रूपनगर, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमावंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 87/89, खाता संख्या 112/122 व राजस्व ग्राम 50 एफ, पटवार हल्का 50 एफ रूपनगर, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमावंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 46/34 में अंकित नाम सेवक सिंह पुत्र सीता सिंह के स्थान पर सेवक सिंह उर्फ गुरसेवक सिंह पुत्र सीता सिंह उर्फ सुरजीत सिंह व प्रकाश सिंह पुत्र सीता सिंह के स्थान पर प्रकाश सिंह पुत्र सीता सिंह उर्फ सुरजीत सिंह तथा शिवराज सिंह पुत्र सीता सिंह के स्थान पर शिवराज सिंह पुत्र सीता सिंह उर्फ सुरजीत सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 07.06.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	04	00	योग	00	00

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांक: 07.06.2024

क्रमांक: रीडर/2024/271

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।



{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर